पुस्तकों से उद्धरण की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकेगा जिनमें ऐसी भूमि का भाटक-मूल्य दर्शित है ;

(ख) ऐसी स्थानीय जांच करने के पश्चात् और ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और सम्बन्धित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी भूमि की उपज में होने वाली आय का प्राक्कलन कर सकेगा ।

3. धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शुद्ध औसत वार्षिक आय उस औसत वार्षिक सकल आय का साठ प्रतिशत होगी जो पैरा 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित पांच क्रमवर्ती वर्षों के दौरान सकल आय का एक बटा पांच होगी ।

4. ऊपर निर्दिष्ट सकल वार्षिक आय के चालीस प्रतिशत को शुद्ध औसत वार्षिक आय का अवधारण करने के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा किन्तु उसमें से उस खर्चे को घटा दिया जाएगा जो रिक्त भूमि का धारक किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को कर का संदाय करने के लिए और संग्रहण तथा खेती के खर्चे सहित अन्य प्रभारों के लिए प्रसामान्यतः उपगत करता ।

23177

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 62)

[10 अप्रैल, 1976]

बीड़ी स्थापनों में लगे हुए व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के उपायों के वित्तपोषण का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और उस राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं ।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निधि" से धारा 3 के अधीन स्थापित बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अभिप्रेत है;

विधिक माप-विज्ञान और विद्या की अन्य सहबद्ध शाखाओं में पर्याप्त प्रशिक्षण देने वाले संस्थान के रूप में प्रभावपूर्ण रीति में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझे ।

(4) संस्थान में प्रशिक्षण के लिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और वह अवधि जिसके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम का वहां प्रशिक्षण दिया जा सकेगा, ऐसी होगी जैसी विहित की जाए ।

(5) केन्द्रीय सरकार उन न्यूनतम अर्हताओं को विहित करेगी जो संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसमें प्रवेश पाने के लिए पात्र होने के वास्ते किसी व्यक्ति में पाई जानी चाहिए तथा संस्थान में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न अर्हताएं विहित की जा सकेंगी ।

(6) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निरीक्षक अथवा उससे ऊपर की पंक्ति के कर्मचारियों को ऐसे समूहों में भेज सकेगी जो संस्थान के लिए सुविधाजनक हो तथा केन्द्रीय सरकार संस्थान में ऐसे अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए भी प्रबंध कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे ।

(7) संस्थान—

(क) विधिक माप-विज्ञान और ज्ञान की अन्य सहबद्ध शाखाओं में ऐसा अनुसंधान कार्य कर सकेगी जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपा जाए और

(ख) ऐसी गोष्ठियां, बैठकें या अन्य समारोह कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

अन्य स्थानों पर प्रशिक्षण ।

77. यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि संस्थान में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त किसी कर्मचारी को, जो निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो ऐसा अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है जिसकी संस्थान में व्यवस्था नहीं है तो वह ऐसे कर्मचारी को ऐसा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऐसे अन्य स्थान, प्राधिकरण या संस्थान को भेज सकेगी जो वह ठीक समझे ।

भाग 8

प्रकीर्ण

सर्वेक्षण और सांख्यिकी ।

78. केन्द्रीय सरकार यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बाट, माप या संख्यान के किसी विहित मानक का किसी क्षेत्र में या किसी वर्ग के उपक्रमों, उपयोक्ताओं या मालों के संबंध में किस विस्तार तक अनुपालन किया गया है, ऐसे सर्वेक्षण करेगी या कराएगी अथवा ऐसी सांख्यिकी एकत्र करेगी या कराएगी जैसी वह आवश्यक समझे और किसी बाट या माप का प्रयोग करने वाले अथवा कोई संख्यान बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सहायता करे जैसी ऐसा सर्वेक्षण करने वाला अथवा ऐसी सांख्यिकी एकत्र करने वाला व्यक्ति अपेक्षा करे ।

अमीटरी बाटों और मापों का बाटों और मापों के मानक मात्रकों में संपरिवर्तन ।

79. (1) बाटों या मापों के मानक मात्रकों से भिन्न बाट या माप के किसी मात्रक के अनुसार अभिव्यक्त मूल्य को अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर बाट या माप के मानक मात्रक के अनुसार अभिव्यक्त मूल्य में संपरिवर्तित किया जा सकेगा ।

(2) किसी अधिनियमिति में या किसी अधिनियम के अधीन किसी अधिसूचना, नियम या आदेश में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा, विलेख या अन्य लिखत में बाट, माप या संख्यान के मानक मात्रक से भिन्न बाट, माप या संख्यान के किसी मात्रक के अनुसार अभिव्यक्त मूल्य के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ किया जाएगा कि वे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर संपरिवर्तित यथास्थिति, बाट, माप या संख्यान के मानक मात्रकों के अनुसार अभिव्यक्त मूल्य हैं ।

व्यक्ति को प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।

82. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 83 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा, ऐसी फीस विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो— फीस का उद्ग्रहण ।

(क) किसी अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय, क्रय, वितरण या परिदान के लिए निर्मित या विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्थापित किसी बाट या माप के माडल के अनुमोदन के लिए पांच हजार रुपए से अधिक न हो,

(ख) धारा 41 के अर्थ में प्रथम प्रवर्ग के किसी बाट या माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए एक हजार रुपए से अधिक न हो ;

(ग) धारा 41 के अर्थ में द्वितीय प्रवर्ग के बाट या माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए पांच हजार रुपए से अधिक न हो;

(घ) गोपनीय प्रकार की दस्तावेज से भिन्न किसी दस्तावेज की प्रतियों के दिए जाने के लिए, प्रत्येक सौ शब्द या उससे कम के लिए एक रुपए से अधिक न हो;

(ङ) बाटों और मापों के निर्यातकर्ताओं या आयातकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए दस रुपए से अधिक न हो;

(च) इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी अपील के लिए पच्चीस रुपए से अधिक न हो ।

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन विहित फीस नहीं दे दी जाती तब तक कोई अनुमोदन, सत्यापन, या स्टाम्पन नहीं किया जाएगा, कोई प्रति नहीं दी जाएगी, रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा, या अपील ग्रहण नहीं की जाएगी ।

83. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) बाट या माप के अनुपूरक, व्युत्पन्न, विशेष या अन्य मात्रक, मानक प्रतीक या परिभाषाएं जैसी कि बाट और माप संबंधी महासम्मेलन या अन्तरराष्ट्रीय विधिक माप-विज्ञान संगठन द्वारा सिफारिश की गई हों :

(ख) बाट या माप के मात्रकों के गुणज और अपवर्तक तथा उनके संबंध में भौतिक नियतांक अनुपात या गुणांक जैसे कि बाट और माप संबंधी महासम्मेलन या अन्तरराष्ट्रीय विधिक माप-विज्ञान संगठन द्वारा सिफारिश किए गए हों;

(ग) संख्याओं के दशमिक गुणजों और अपवर्तकों के मूल्य-मान और रीति जिसमें वे लिखे जाएंगे ;

(घ) नियतकालिक अंतराल जिनमें धारा 16 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट पदार्थों या उपस्कर की यथार्थता प्रमाणित की जाएगी ;

(ङ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन धारा 15 में निर्दिष्ट प्रत्येक राष्ट्रीय आद्यरूप और धारा 16 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक वस्तु या उपस्कर रखा जाएगा ;

(च) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन प्रत्येक निर्देश मानक, द्वितीयक मानक या कार्यकारी मानक रखा जाएगा ;

(छ) वह स्थान जहां, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा, वह रीति जिसमें और वे नियतकालिक अंतराल जिनमें प्रत्येक निर्देश मानक, द्वितीयक मानक और कार्यकारी मानक का सत्यापन और अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ज) वह अभिरक्षा जिसमें प्रत्येक निर्देश मानक, द्वितीयक मानक या कार्यकारी मानक रखा जाएगा ;

(झ) बाटों या मापों से संबंधित भौतिक लक्षण, आकृति, संरचनात्मक ब्यौरे, सामग्री, उपस्कर, कार्यशीलता, सह्यता, परख की पद्धतियां या प्रक्रिया ;

(ञ) वे शर्तें, परिसीमाएं और निर्बन्धन जिनके अधीन अमानक बाट या मापों का, निर्यात के लिए, विनिर्माण किया जा सकेगा या निर्यात किया जा सकेगा;

(ट) किसी ऐसी वस्तु के, जो शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, व्ययन की रीति;

(ठ) उन मालों या उपक्रमों का वर्ग जिनके संबंध में अथवा उपयोक्ताओं का वर्ग जिसके संबंध में कोई संव्यवहार, व्यवहार या संविदा विनिर्दिष्ट बाट, माप या संख्या के हिसाब से ही की जाएगी, अन्यथा नहीं;

(ड) धारा 35 में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख;

(ढ) वह प्राधिकारी जिसको माडल अनुमोदन के लिए पेश किया जाना है;

(ण) उन माडलों, रेखा-चित्रों की संख्या और अन्य जानकारी जो माडल के अनुमोदन के लिए पेश की जानी है;

(त) वे शर्तें जिनके अधीन किसी [illegible] ता की परख की जानी है ;

(थ) वह रीति जिसमें माडल के संख्यांक और प्रमाणपत्र का अन्तर्लेखन प्रत्येक बाट या माप में किया जाएगा;

(द) [illegible] कैज की अन्तर्वस्तुओं और उस बाट, माप या संख्या के मानक के विनिर्देश की घोषणा करने की रीति जिसके अनुसार पैकेज पर फुटकर विक्रय कीमत घोषित की जाएगी ;

(ध) वे मानक परिमाण या संख्या जिनमें वस्तुओं [illegible] को पैक किया जा सकेगा;

(न) वह क्षमता जिस तक पैकेज भरे जाएंगे ;

(प) पैकेज में रखी शुद्ध वस्तु के परिमाण में होने वाले ऐसे उचित परिवर्तन जो पैक करने की पद्धति या सामान्य [illegible] से उच्छन्न रहने के कारण हो सकते हैं ;

(ङ) वह विशेष मुद्रा जिससे प्रथम प्रवर्ग के बाटों या मापों को स्टाम्पित किया जाएगा;

(च) अंतरक राज्य में प्रत्येक विनिर्माता, व्यवहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा पेश की जाने वाली नियतकालिक विवरणियां;

(छ) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह समय जिसके अन्दर, बाटों और मापों के निर्यातकर्ताओं और आयातकर्ताओं के रजिस्टर में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन किए जाएंगे;

(ज) वह अवधि जिसके लिए बाटों या मापों के किसी निर्यातकर्ता या आयातकर्ता के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को नवीकृत किया जा सकेगा;

(झ) संस्थान में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तथा उसकी अवधि;

(ञ) संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हताएं;

(ट) वे मान जिनके अनुसार धारा 82 के अधीन फीसें संगृहीत की जा सकेंगी ;

(ठ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाने में केन्द्रीय सरकार यह उपबन्ध कर सकेगी कि उसका भंग किया जाना जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

संक्रमण कालीन अवधि के दौरान कतिपय बाटों और मापों का जारी रहना ।

84. (1) इस बात के होते हुए भी कि यह अधिनियम सिक्किम राज्य के किसी क्षेत्र या वर्ग के माल या उपस्कर्मों या किसी वर्ग के बाटों और मापों या बाटों और मापों के उपयोक्ताओं के संबंध में प्रवृत्त हो गया है, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस क्षेत्र या उस वर्ग के माल या उपस्कर्मों के संबंध में अथवा बाटों और मापों के उपयोक्ताओं के वर्गों के लिए, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, मानक बाटों और मापों के अतिरिक्त ऐसे बाटों और मापों का पांच वर्ष तक की इतनी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रयोग किया जाना अनुज्ञात कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह केन्द्रीय सरकार को किसी ऐसे बाट या माप के सम्बन्ध में, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ में ठीक पहले सिक्किम राज्य में प्रयोग में नहीं था, कोई अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है ।

1956 का 89

85. (1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1956 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

1897 का 10
1956 का 89

(2) निरसनों के बारे में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह है कि बाट और माप मानक अधिनियम, 1956 के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, बनाए गए कोई नियम या किए गए कोई आदेश, यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रवृत्त हैं तो वे इस प्रकार प्रवृत्त बने रहेंगे और प्रभावी होंगे मानो वे इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन बनाए गए हों ।

(ख) कोई व्यक्ति किसी स्थापन में लगा हुआ तब कहा जाता है जब वह उस स्थापन में कुशल, अकुशल, शारीरिक या लिपिकीय कोई काम करने के लिए सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से, चाहे मजदूरी पर या उसके बिना, लगा हुआ है और इसके अन्तर्गत—

(i) कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसे किसी नियोजक या संविदाकार द्वारा कच्चा माल घर पर बीड़ी बनाने के लिए दिया जाता है, और

(ii) कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो किसी नियोजक या संविदाकार द्वारा नहीं लगाया हुआ है किन्तु नियोजक या संविदाकार की अनुज्ञा से या उसके साथ करार के अधीन काम कर रहा है ;

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में परिभाषित हैं, जहां तक उनका संबंध बीड़ी स्थापनों में लगे हुए किसी व्यक्ति से है, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

1966 का 32

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि।

3. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :—

(क) ऐसी रकम जिसका केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 की धारा 4 के अधीन जमा किए गए उपकर के आगमों में से, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित संग्रहण-खर्च को काटने के पश्चात्, उपबन्ध करे;

1976 का 56

(ख) इस अधिनियम के अधीन जमा की गई ऐसी रकम के, जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट है, विनिधान से कोई आय और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त कोई अन्य धनराशियां।

निधि का उपयोजन।

4. (1) निधि का उपयोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस व्यय को, जो ऐसे उपायों और सुविधाओं के संबंध में उपगत किया गया हो जो उस सरकार की राय में बीड़ी स्थापनों में लगे हुए व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों, चुकाने के लिए और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए किया जाएगा—

(क) ऐसे व्यक्तियों के फायदे के लिए उन उपायों का खर्च चुकाना जो निम्नलिखित के लिए उद्दिष्ट हों—

(i) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता का सुधार, रोग का निवारण और चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार;

(ii) जल-प्रदाय और नहाने-धोने की सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार;

(iii) शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार;

(iv) आवासन और आमोद-प्रमोद की सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार जिनके अन्तर्गत जीवन स्तर, पोषण और सामाजिक दशाओं को बेहतरी भी है;

(v) ऐसे अन्य कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार जो विहित की जाएं ;

(ख) बीड़ी स्थापनों में लगे हुए व्यक्तियों के कल्याण से संसक्त प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम की सहायता के लिए किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या नियोजक को उधार या सहायकी का दिया जाना;

(ग) किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या नियोजक को, जो बीड़ी स्थापनों में लगे हुए व्यक्तियों के फायदे के लिए विहित स्तरमान के कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं की व्यवस्था, केन्द्रीय सरकार को समाधानप्रद रूप में करता है, वार्षिक सहायता अनुदान देना; किन्तु इस प्रकार किसी ऐसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या नियोजक को सहायता अनुदान के रूप में संदेय रकम, निम्नलिखित में से जो भी रकम कम हो, उससे अधिक नहीं होगी—

(i) कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं की व्यवस्था करने में व्यय की गई रकम जैसी वह केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा अवधारित की जाए, या

(ii) ऐसी रकम, जो विहित की जाए :

परन्तु यदि पूर्वोक्त रूप से अवधारित कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं पर व्यय की गई रकम इस निमित्त विहित रकम से कम है तो किन्हीं ऐसे कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं के संबंध में सहायता अनुदान संदेय नहीं होगा;

(घ) क्रमश: धारा 5 और 6 के अधीन गठित सलाहकार समितियों और केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के भत्ते, यदि कोई हों, और धारा 8 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों के वेतन और भत्ते, यदि कोई हों, चुकाना;

(ङ) कोई अन्य व्यय जिसका निधि में से चुकाया जाना केन्द्रीय सरकार निदिष्ट करे।

(2) केन्द्रीय सरकार को यह विनिश्चित करने की शक्ति होगी कि कोई विशिष्ट व्यय निधि में से विकलित किए जाने योग्य है या नहीं, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

सलाहकार समितियां।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले उन मामलों पर, जो उसे उस सरकार द्वारा निर्देशित किए जाएं, जिनके अन्तर्गत निधि के उपयोजन से सम्बद्ध मामले आते हैं, केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए उतनी सलाहकार समितियां गठित कर सकेगी, जितनी वह ठीक समझे, किन्तु मुख्य बीड़ी उत्पादक राज्यों में से हर एक के लिए एक से अधिक सलाहकार समिति गठित नहीं की जाएगी।

(2) हर एक सलाहकार समिति में उतने व्यक्ति होंगे जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा उसमें नियुक्त किए जाएं और सदस्य ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो विहित की जाए :

परन्तु हर एक सलाहकार समिति में सरकार, नियोजकों और बीड़ी स्थापनों में लगे हुए व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर-बराबर होगी और ऐसी समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी।

(3) हर एक सलाहकार समिति का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार हर एक सलाहकार समिति के सब सदस्यों के नाम राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

केन्द्रीय सलाहकार समिति ।

6. (1) केन्द्रीय सरकार, धारा 5 के अधीन गठित सलाहकार समितियों के काम को समन्वित करने के लिए और इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले किसी मामले पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सलाहकार समिति में उतने व्यक्ति होंगे जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा उसमें नियुक्त किए जाएं और सदस्य ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो विहित की जाए:

परन्तु केन्द्रीय सलाहकार समिति में सरकार, नियोजकों और बीड़ी स्थापनों में लगे हुए व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर-बराबर होगी और ऐसी समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी ।

(3) केन्द्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सलाहकार समिति के सब सदस्यों के नाम राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

सहयोजित करने की शक्ति ।

7. (1) कोई सलाहकार समिति या केन्द्रीय सलाहकार समिति, किसी भी समय और ऐसी प्रयोजन के लिए, जैसी वह ठीक समझे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सलाहकार समिति में सहयोजित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा किन्तु मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(3) सलाहकार समिति या केन्द्रीय सलाहकार समिति यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो, किसी व्यक्ति को अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है और यदि ऐसा व्यक्ति किसी बैठक में उपस्थित होता है तो वह उस में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

कल्याण आयुक्तों, आदि की नियुक्ति और उनकी शक्तियां ।

8. (1) केन्द्रीय सरकार उतने कल्याण आयुक्त, कल्याण प्रशासक, निरीक्षक और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगी जितने वह इस अधिनियम और बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे ।

1976 का 56

(2) केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी कल्याण आयुक्त को उतने कर्मचारिवृन्द नियुक्त करने के लिए निदेश दे सकेगी जितने इस अधिनियम और बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

1976 का 56

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया हर व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

1860 का 45

(4) कोई कल्याण आयुक्त, कल्याण प्रशासक या निरीक्षक,—

(क) ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह ठीक समझे, किसी युक्तियुक्त समय पर ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकेगा जहां वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए प्रवेश करना आवश्यक समझे;

(ख) ऐसे स्थान के अन्दर कोई ऐसी बात कर सकेगा जो उसके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हो; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो विहित की जाएं ।

केन्द्रीय सरकार की छूट देने की शक्ति। 9. यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि बीड़ी स्थापनों में लगे हुए व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त उपबन्ध करने वाली कोई विधि किसी राज्य या उसके भाग में प्रवृत्त है तो वह, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध ऐसे राज्य या उसके भाग को लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अधिनियम के अधीन वित्तपोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट। 10. केन्द्रीय सरकार, हर एक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, पर्यवसित वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन वित्तपोषित अपने क्रियाकलापों का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट, एक लेखा-विवरण सहित, राजपत्र में प्रकाशित कराएगी।

जानकारी मांगने की शक्ति। 11. केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आंकड़ों की ऐसी जानकारी और अन्य जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर दे जो विहित की जाए।

नियम बनाने की शक्ति। 12. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे —

(क) वह रीति जिस से निधि का उपयोजन धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उपायों और सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा;

(ख) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उधार या सहायकी के दिए जाने को शासित करने वाली शर्तें;

(ग) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन सहायता अनुदान को शासित करने वाली शर्तें;

(घ) उन कल्याणकारी उपायों और सुविधाओं का स्तरमान जिनकी धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन व्यवस्था की जानी है;

(ङ) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) में और उस खण्ड के परन्तुक में निर्दिष्ट रकमों का अवधारण;

(च) क्रमशः धारा 5 और 6 के अधीन गठित सलाहकार समितियों और केन्द्रीय सलाहकार समिति की संरचना, वह रीति जिससे उनके सदस्य चुने जाएंगे, ऐसे सदस्यों की पदावधि, उनको संदेय भत्ते, यदि कोई हों, और वह रीति जिससे सलाहकार समितियां और केन्द्रीय सलाहकार समिति अपने कारबार का संचालन करेंगी;

(छ) धारा 8 के अधीन नियुक्त सभी व्यक्तियों की भर्ती, सेवा की शर्तें और कर्तव्य;

(ज) वह शक्ति जिसका किसी कल्याण आयुक्त, कल्याण प्रशासक या निरीक्षक द्वारा धारा 8 के अधीन प्रयोग किया जा सकता है;

(झ) केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी नियोजक द्वारा आंकड़ों की ऐसी जानकारी और अन्य जानकारी का दिया जाना जिसके दिए जाने की धारा 11 के अधीन अपेक्षा की जाए;

(ञ) वह प्ररूप जिसमें और वह अवधि जिसके भीतर आंकड़ों की जानकारी या अन्य जानकारी खण्ड (झ) के अधीन दी जानी है ;

(ट) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित, या उपबन्धित, किया जाना है या किया जाए।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (झ) या खण्ड (ञ) के अधीन कोई नियम बनाने में, केन्द्रीय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976

(1976 का अधिनियम संख्यांक 99)

[7 सितम्बर, 1976]

कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952, धन-कर अधिनियम, 1957 और आय-कर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 है।

(2) इस अधिनियम की धारा 30 और धारा 31 के उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और शेष उपबन्ध 1 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

5. किसी विक्रय सम्वर्धन कर्मचारी के संबंध में प्रत्येक नियोजक ऐसे कर्मचारी को नियुक्ति पत्र, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए,— नियुक्ति पत्र का जारी किया जाना।

(क) ऐसी दशा में जब वह इस अधिनियम के प्रारम्भ पर उस हैसियत में पद धारण करता हो, ऐसे प्रारम्भ के तीन मास के भीतर देगा; और

(ख) किसी अन्य दशा में उस हैसियत में उसकी नियुक्ति पर देगा।

1923 का 8 6. (1) तत्समय यथा प्रवृत्त कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबन्ध विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों को या उनके सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस अधिनियम के अर्थ में कर्मकारों को या उनके सम्बन्ध में लागू होते हैं। विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों को कतिपय अधिनियमों का लागू होना।

1947 का 14 1 [(2) तत्समय यथा प्रवृत्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्ध विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों को या उनके सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस अधिनियम के अर्थ में कर्मकारों को या उनके सम्बन्ध में लागू होते हैं और किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में उस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, किसी विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी के अन्तर्गत कोई ऐसा विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी भी समझा जाएगा जो उस विवाद के सम्बन्ध में या उसके परिणामस्वरूप सेवोन्मुक्त, पदच्युत या छंटनी किया गया है या जिसकी सेवोन्मुक्ति, पदच्युति या छंटनी की वजह से ही वह विवाद पैदा हुआ है।]

1948 का 11 (3) तत्समय यथा प्रवृत्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्ध विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों को या उनके सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस अधिनियम के अर्थ में कर्मचारियों को या उनके सम्बन्ध में लागू होते हैं।

1961 का 53 (4) तत्समय यथा प्रवृत्त प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के उपबन्ध उन विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों को जो स्त्री हैं या उनके सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस अधिनियम के अर्थ में किसी स्थापन में मजदूरी पर नियोजित स्त्रियों को या उनके सम्बन्ध में लागू होते हैं, चाहे वे सीधे नियोजित हों या किसी अभिकरण के माध्यम से।

1965 का 21 (5) तत्समय यथा प्रवृत्त बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबन्ध विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों को या उनके सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस अधिनियम के अर्थ में कर्मचारियों को या उनके सम्बन्ध में लागू होते हैं।

1972 का 39 (6) तत्समय यथा प्रवृत्त उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के उपबन्ध विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों को या उनके सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस

2[(7) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) उक्त उपधाराओं में से किसी में निर्दिष्ट किसी अधिनियम को विक्रय संवर्धन कर्मचारियों को लागू करने में, ऐसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विक्रय संवर्धन कर्मचारी की मजदूरी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित उसकी मजदूरी समझी जाएगी;

(ख) जहां उक्त उपधाराओं में से किसी में निर्दिष्ट कोई अधिनियम मजदूरी के बारे में अधिकतम सीमा के लिए ऐसा उपबंध करता है जिससे कि ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी मजदूरी ऐसी अधिकतम सीमा से अधिक है, ऐसे अधिनियम के लागू होने की परिधि से अपवर्जित किया जा सकता है, तो वहां ऐसा अधिनियम ऐसे विक्रय संवर्धन कर्मचारी को लागू नहीं होगा जिसकी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित मजदूरी ऐसी अधिकतम सीमा से अधिक है।]

वेजे की रजिस्टरों का बनाए रखना।

न्हें ोर यों त की निरीक्षक।

(क) किसी नियोजक से ऐसी जानकारी जो वह आवश्यक समझे, देने के लिए अपेक्षा कर सकता है;

1. 1982 के अ० सं० 48 की धारा 24 द्वारा जोड़ा गया (अन्तःस्थापित)
2. 1986 " " 48 " " 5 " (6.5.1987 से) अन्तःस्थापित

(ख) किसी युक्तियुक्त समय पर स्थापन या उससे सम्बद्ध किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधक हो, विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों के नियोजन से सम्बन्धित रजिस्टर या अन्य दस्तावेजें परीक्षा के लिए अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षा कर सकता है ;

(ग) पूर्वोक्त किन्हीं प्रयोजनों से सुसंगत किसी बात की बाबत नियोजक, उसके अभिकर्ता या सेवक या किसी अन्य व्यक्ति की जो उस स्थापन या उससे सम्बद्ध किसी परिसर का भारसाधक हो या किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है जिसके बारे में निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक हो कि वह स्थापन में कोई विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी है या रहा है ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन उस स्थापन के सम्बन्ध में बनाए रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज की नकल कर सकता है या उससे उद्धरण ले सकता है;

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो विहित की जाएं .

(3) प्रत्येक निरीक्षक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा। 1860 का 45

(4) उपधारा (2) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा कोई रजिस्टर या अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए या जानकारी देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा।

शास्ति।

9. यदि कोई नियोजक धारा 4 या धारा 5 या धारा 7 के, या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के, उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

10. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस धारा में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

अध्याय 2

बन्धित श्रम पद्धति का उत्सादन

4. बन्धित श्रम पद्धति का उत्सादन।
5. करार, रूढ़ि आदि का शून्य होना।

अध्याय 3

बन्धित ऋण का प्रतिसंदाय करने के दायित्व की समाप्ति

6. बन्धित ऋण का प्रतिसंदाय करने के दायित्व की समाप्ति।
7. बन्धित श्रमिक की सम्पत्ति का बन्धक, आदि से मुक्त किया जाना।
8. मुक्त किए गए बन्धित श्रमिक का वासस्थान, आदि से बेदखल न किया जाना।
9. समाप्त ऋण के लिए लेनदार द्वारा संदाय का स्वीकार न किया जाना।

अध्याय 4

कार्यान्वयन प्राधिकारी

10. वे प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।
11. ऋण सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों का कर्तव्य।
12. जिला मजिस्ट्रेट का और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों का कर्तव्य।

अध्याय 5

सतर्कता समितियां

13. सतर्कता समितियां।
14. सतर्कता समितियों के कृत्य।
15. सबूत का भार।

अध्याय 6

अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया

16. बन्धित श्रम के प्रवर्तन के लिए दण्ड।
17. बन्धित ऋण के दिए जाने के लिए दण्ड।
18. बन्धित श्रम पद्धति के अधीन बन्धित श्रम कराने के लिए दण्ड।
19. बन्धित श्रमिकों को सम्पत्ति का कब्जा वापस करने में लोप या असफलता के लिए दण्ड।
20. दुष्प्रेरण का एक अपराध होना।
21. अपराधों का कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारण किया जाना।
22. अपराधों का संज्ञान।
23. कम्पनियों द्वारा अपराध।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

24. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
25. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।
26. नियम बनाने की शक्ति।
27. निरसन और व्यावृत्ति।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संज्ञान।

11. (1) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब कि उसका परिवाद उस तारीख से जिसको अपराध का किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर किया गया हो।

1[11क. ——— निरसन ———]

नियम बनाने की शक्ति।

12. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :—

(क) छुट्टी के प्रकार जो धारा 4 के अधीन किसी विक्रय संवर्धन कर्मचारी को मंजूर की जा सकती है; 2[—— निरसन ——]

(ख) धारा 5 के अधीन दिए जाने वाले नियुक्ति-पत्र का प्ररूप;

(ग) धारा 7 के अधीन रखे जाने वाले और बनाए रखे जाने वाले रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें और वह रीति जिससे ऐसे रजिस्टर और अन्य दस्तावेजें रखी और बनायी रखी जा सकेंगी;

(घ) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जा सकती है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

a1777

1 1982 के अधि० सं० 69 की धारा 8 द्वारा अन्तःस्थापित।
2 1986 " " " 48 " " 5 " (8-3-1976 से) प्रतिस्थापित

के अधीन अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के रूप में क्यों न घोषित की जाए और केन्द्रीय सरकार को क्यों न समपहृत हो जाए ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन सूचना में किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है, वहां उस सूचना की एक प्रति की तामील ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी की जाएगी ।

कुछ दशाओं में सम्पत्ति का समपहरण ।

7. (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 6 के अधीन जारी की गई हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, और अपने समक्ष, उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तथा प्रभावित व्यक्ति को (और किसी ऐसी दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति उस सूचना में विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित करता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, यह निष्कर्ष लेखबद्ध कर सकेगा कि प्रश्नगत सभी या कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है या नहीं ।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना में निर्दिष्ट सम्पत्ति में से कतिपय सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है किन्तु वह ऐसी सम्पत्ति की विनिर्दिष्ट रूप से पहचान करने में असमर्थ है, वहां सक्षम प्राधिकारी के लिए ऐसी सम्पत्ति को विनिर्दिष्ट करना विधिपूर्ण होगा जो, उसके श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार, अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है और वह तदनुसार उपधारा (1) के अधीन निष्कर्ष लेखबद्ध करेगा ।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष लेखबद्ध करता है कि कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है वहां वह यह घोषणा करेगा कि ऐसी सम्पत्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(4) जहां किसी कम्पनी के कोई शेयर इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाते हैं वहां वह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 या उस कम्पनी के संगम-अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को ऐसे शेयरों के अन्तरिती के रूप में तत्काल दर्ज करेगी । 1956 का 1

सबूत का भार ।

8. इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि धारा 6 के अधीन तामील की गई सूचना में विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति नहीं है, प्रभावित व्यक्ति पर ही होगा ।

समपहरण के बदले में जुर्माना ।

9. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी यह घोषणा करता है कि कोई सम्पत्ति धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो गई है और वह ऐसा मामला है जिसमें ऐसी आय, उपार्जनों या आस्तियों का, जिनसे ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी, केवल एक भाग का जो आधे से कम है, स्रोत सक्षम प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में साबित नहीं हुआ है, वहां वह प्रभावित व्यक्ति को यह विकल्प देते हुए आदेश करेगा कि वह समपहरण के बदले में ऐसे भाग के मूल्य के एक सही एक बटा पांच भाग के बराबर जुर्माना दे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी आय, उपार्जनों या आस्तियों के, जिनसे कोई सम्पत्ति अर्जित की गई है, किसी भाग का मूल्य निम्नलिखित होगा, अर्थात् :—

(क) आय या उपार्जनों के किसी भाग की दशा में, आय या उपार्जनों के ऐसे भाग की रकम;